

Details of the Compensation for Damaged Crops

66. SH. ABHAY SINGH CHAUTALA, M.L.A Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

- a) the district-wise details of area in which the Rabi crops of 2021-2022 and Kharif crops of current year have been damaged due to unseasonal rains in State togetherwith the crop-wise details thereof; and
- b) whether the loss caused to the crops as mentioned in at part ‘a’ above has been compensated by the Government; if so, the crop-wise details of the per acre compensation given by the Government in this regard and if not, the reason thereof?

SH. DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

a&b) Sir, an amount of Rs. 151.42 crore has been sanctioned to 12 districts for providing compensation in 1,25,342.56 acres for damage to Rabi crop 2021-2022 (wheat and other crops) due to heavy rain/water logging and hailstorm. The district-wise, crop-wise details of damages and compensation thereof, are as given in the table below:-

Sr. No.	District name	Crop name	Crop wise damage area in Acres	Compensation thereof (INR)
1	Ambala	Wheat	159	22,90,250/-
		Other crops	11	
2	Yamuna Nagar	Wheat	12896	19,33,35,438/-
		Other crops	1620	
3	Kaithal	Wheat	19	2,40,000/-
4	Nuh	Wheat	22305	32,25,86,500/-
		Other crops	1064	
5	Rewari	Wheat	522	1,09,45,500/-
		Other crops	95	
6	Hisar	Wheat	2760	3,74,95,000/-
		Other crops	120	
7	Jind	Wheat	1340	1,85,88,000/-
8	Rohtak	Wheat	17287	23,83,65,664/-
		Other crops	61	
9	Sonipat	Wheat	4463.56	7,06,69,969/-
		Other crops	3	
10	Jhajjar	Wheat	13506	20,19,59,000/-
		Other crops	551	
11	Bhiwani	Wheat	4054	15,95,74,000/-
		Other crops	14340	
12	Charkhi Dadri	Wheat	4265.5	25,81,59,250/-
		Other crops	23900.5	
Grand Total			125342.56	151,42,08,571/-

The norms for providing compensation are as follows:-

Damage %	Crop Name	Rate of compensation
≥ 25 to < 33 %	Wheat, paddy, cotton and sugarcane	Rs. 9,000/- per acre
	Mustard and other Crops	Rs. 7,000/-per acre
≥ 33 to < 50 %	Wheat, paddy, cotton and sugarcane	Rs. 9,000/- per acre
	Mustard and other Crops	Rs. 7,000/- per acre
≥ 50 to < 75 %	Wheat, paddy, cotton and sugarcane	Rs. 12,000/- per acre
	Mustard and other Crops	Rs. 9,000/-per acre
≥75 and above	Wheat, paddy, cotton and sugarcane	Rs. 15,000/-per acre
	Mustard and other Crops	Rs. 12,500/-per acre

In addition to this, to assess the damage to Kharif crops, 2022 on account of heavy rain/water logging at many places after 22 September 2022, special girdawari was ordered on 28.10.2022 and on 09.11.2022 (for Hisar district due to Model Code of conduct). Reports of special girdawari from the districts through Divisional Commissioners are still awaited. Necessary action will be taken as per norms/instructions of the Government, on receipt of reports.

क्षतिग्रस्त फसलों के लिए मुआवजे का ब्यौरा

66 श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद), एम.एल.ए.:- क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि:-

- क) राज्य में क्षेत्र का जिलावार ब्यौरा क्या है जिसमें बेमौसमी वर्षा के कारण वर्ष 2021-22 की रबी फसलें तथा वर्तमान वर्ष की खरीफ फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं तथा उसका फसलवार ब्यौरा क्या है; तथा
- ख) क्या सरकार द्वारा उपरोक्त भाग (क) में वर्णित फसलों के हुए नुकसान के लिए कोई मुआवजा दिया गया है; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रति एकड़ दिए गए मुआवजे का वर्षवार ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है।

श्री दुष्यंत चौटाला, उप-मुख्यमंत्री, हरियाणा

क व ख) श्रीमान जी, वर्ष 2021-22 में भारी वर्षा/जलभराव एवं ओलावृष्टि से 12 जिलों के 125342.56 एकड़ में हुई क्षति हेतु मुआवजा प्रदान करने के लिए 151.42 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। जिसका जिलावार, फसलवार, नुकसान और उसके मुआवजे का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:-

क्रम सं०	जिला का नाम	फसल का नाम	फसल बार खराबा रकबा (एकड़ में)	स्वीकृत मुआवजा राशि
1	अम्बाला	गेहू	159	22,90,250/-
		अन्य फसलें	11	
2	यमुनानगर	गेहू	12896	193335438/-
		अन्य फसलें	1620	
3	कैथल	गेहू	19	2,40,000/-
		अन्य फसलें	0	
4	नूंह	गेहू	22305	32,25,86,500/-
		अन्य फसलें	1064	
5	रेवाड़ी	गेहू	522	1,09,45,500/-
		अन्य फसलें	95	
6	हिसार	गेहू	2760	3,74,95,000/-
		अन्य फसलें	120	
7	जीन्द	गेहू	1340	1,85,88,000/-
		अन्य फसलें	0	
8	रोहतक	गेहू	17287	23,83,65,664/-
		अन्य फसलें	61	
9	सोनीपत	गेहू	4463.56	7,06,69,969/-
		अन्य फसलें	3	
10	झज्जर	गेहू	13506	20,19,59,000/-
		अन्य फसलें	551	
11	भिवानी	गेहू	4054	15,95,74,000/-
		अन्य फसलें	14340	
12	चरखी दादरी	गेहू	4265.5	25,81,59,250/-
		अन्य फसलें	23900.5	
कुल जोड़			125342.56	151,42,08,571/-

मुआवजा प्रदान करने के नार्मज इस प्रकार से है:-

खराबा प्रतिशत	फसल का नाम	मुआवजे की दर
≥ 25 से < 33 प्रतिशत तक	गेहूँ धान] कपास और गन्ना	9000/-रूपये प्रति एकड़

	सरसों और अन्य फसलें	7000/-रूपये प्रति एकड़
≥ 33 से < 50 प्रतिशत तक	गेहूँ धान] कपास और गन्ना	9000/-रूपये प्रति एकड़
	सरसों और अन्य फसलें	7000/-रूपये प्रति एकड़
≥ 50 से < 75 प्रतिशत तक	गेहूँ धान] कपास और गन्ना	12000/-रूपये प्रति एकड़
	सरसों और अन्य फसलें	9000/-रूपये प्रति एकड़
≥ 75 प्रतिशत से अधिक	गेहूँ धान] कपास और गन्ना	15000/-रूपये प्रति एकड़
	सरसों और अन्य फसलें	12500/-रूपये प्रति एकड़

इसके अतिरिक्त, दिनांक 22 सितम्बर, 2022 के बाद कई स्थानों पर हुई भारी वर्षा/जलभराव के कारण खरीफ फसल, 2022 में हुए नुकसान के आंकलन हेतु सरकार के पत्र दिनांक 28.10.2022 और 09.11.2022 (जिला हिसार में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण) द्वारा विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गये थे। जिलों से मण्डलीय आयुक्तों के माध्यम से विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट अभी अपेक्षित हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार के नार्मज/हिदायतों अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर ली जायेगी।